


## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)



सं. 65] नई दिल्ली

No. 65]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरैवरी 4, 1999/मार्घ 15, 1920 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1999/MAGHA 15, 1920

## जल भूतल परिवहन मंत्रलिय

(सड़क पक्ष)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1999

का. आ. 77( अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत मरकार, जल भृतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल 1957 की अधिसूचेनां संख्या एक आर ओ 1181 में निम्नलिखित मंशोधन करती है अर्थात् .—

उक्त अधिमूचना में, अनुसूची में—

्कः कम संख्या १ और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम मंख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी. अर्थात :---

	र कर्म संख्या । जार उसका प्रायास्थ्या क स्थान पर निम्नालाखत क्रम संख्या जार प्रायास्थ्या प्रात	स्यापरा प्रा जारुना, अपात् .
1	2	3
''1	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, सं. 7, सं. 9, [217.0 कि.मी. से 265.0 कि. मी. तक (नंदीगाम से विजयवाड़ा तक) को छोड़कर,] सं. 16, सं. 43 और सं. 63 का वह भाग जो आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार''
	(ख) क्रम संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रित	स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
1	2	3
''3	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, सं. 19, सं. 23, सं. 28, सं. 31 और सं. 32 के वे भाग जो बिहार राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28क, सं. 30, सं. 33 और सं. 57	बिहार राज्य सरकार''
	(ग) क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस	थापित की जाएंगी, अर्थात् :
1	2	3
''4	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (561.0 कि.मी. से 585.0 कि. मी. तक, रा. रा4 के साथ संधिस्थल से मुम्बई तक को छोड़कर) सं. 6 [149.80 कि.मी. से 166.0 कि.मी. (अमरावती बाइपास) को छोड़कर ] मं. 7, सं. 9, सं. 13, सं. 16, सं. 17 और सं. 69 के वह भाग जो महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ख और सं. 50	महाराष्ट्र राज्य सरकार''
4क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, सं. 14, सं. 15 और सं. 59 के वे भाग जो गुजरात राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8क, सं. 8ख और सं. 8ग	गुजरात राज्य सरकार''

===		
(ঘ)	क्रम संख्या ८ और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित	
1	2	3
<b>''</b> 8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 कि.मी. से 103.0 कि.मी. तक (चेन्नई से रानीपेट तक) को छोड़कर],	तमिलनाडु राज्य सरकार''
	सं. 7 [33.0 कि. मी. से 94.0 कि. मी. तक (होसुर से कृष्णगिरि तक) को छोड़कर] और सं. 45क,	
	सं. 47 और सं. 49 के वे भाग जो तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7क,	
	सं. 66, सं. 67 और सं. 68	
 (জু)	क्रम सं. ९ और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की	जाएंगी, अर्थात् :
1	2	3
779	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 कि. मी. से 592.0 कि. मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा	कर्नाटक राज्य सरकार"
,	तक) को छोड़कर], सं. 4क, सं. 7 [0.0 कि. मी. से 33.0 कि. मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक/	
	तमिलनाडु सीमा तक) को छोड़कर], सं. १, सं. १३, सं. १७ और सं. ६३ के वे भाग जो कर्नाटक	
	राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48	
	क्रम सं. 10 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की	जाएंगी. अर्थात् :=
1	2	3
''10	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (233 कि. मी. से 418 कि. मी. तक, आंध्र प्रदेश/उड़ीसा सीमा से भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य सरकार''
	तक को छोड़कर)(0.0 कि. मी. से 200.0 कि. मी. तक, भुवनेश्वर से बालासौर तक) सं. 6, सं. 23	
	और सं. 43 के वे भाग जो उड़ीसा राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क और सं. 42	
	क्रम सं. 11, 11क, 11ख, और 11ग और उसकी प्रविध्यों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रवि	ष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातुः—
1	2	3
11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, सं. 1क, सं.10, सं. 15, सं. 20, सं. 21 और सं. 22 के वे भाग जो पंजाब	पंजाब राज्य सरकार,
·	राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 64	,
''11क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, सं.10, सं. 22, और सं. 65 के वे भाग जो हरियाणा राज्य के भीतर	हरियाणा राज्य सरकार,
	स्थित हैं	
''11ख	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1क, सं.20, सं. 21, और सं. 22 के वे भाग जो हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार,
'' 11ग	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, सं. 10, और सं. 24 के वे भाग जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं दिल्ली
	स्थित हैं	की सरकार''
	क्रम सं. 12 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की	
1	2	3
· 12	- राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, सं. 11, सं.12, सं. 14, सं. 15 और सं. 65 के वे भाग जो राजस्थान राज्य के	राजस्थान राज्य सरकार''
	भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क	
(झ)	क्रम सं. 13 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की	ो जाएंगी, अर्थात् :—
1	2	3
1113	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, सं. 7, सं.11, सं. 19, और सं. 24 [27.62 कि.मी. से 59.0 कि.मी. तक	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार''
	(हापुड़ वाइपास सहित गाजियाबाद हापुड़ तक) को छोड़ कर] और 148.43 कि. मी. से 166.65	
	कि. मी. तक] (मुरादाबाद वाइपास को छोड़कर ), सं. 25, सं. 26 और सं. 28 के वे भाग जो	
	उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29, सं. 56 और सं. 58	
(इ)	क्रम सं. 14 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की	ो जाएंगी, अर्थात् :—
1	2	3
1114	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [0.0 कि.मी. से 136.0 कि.मी. तक (कलकत्ता से खड़गपुर तक) की	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार''
	छोड़कर], सं. 31क, सं. 31ग और सं. 32 के वे भाग जो पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित	0.7 2.1 3.11.1 N. 1.21.21.7
	हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34, सं. 35, सं. 41 और सं. 55	

[फा. सं. आर डब्स्यू./एन.एच.-37011/17/97-डी-1]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4-4-1997 की एस आर ओ सं. 1181 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 1-12-1998 की एस. ओ. सं. 1025 (ई) द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

# (Roads Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1999

S. O. 77 (E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport, No. S.R.O. 1181 dated the 4<sup>th</sup> April 1957, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

(a) for serial No. 1 and entries thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"1	So much of National Highways No. 4, No. 7, No. 9,	State Government of
	[(excluding from 217.0 km to 265.0 km (Nandigama to	Andhra Pradesh";
1	Vijayawada)], No. 16, No. 43 and No. 63 as are situated	
	within the state of Andhra Pradesh and National	
	Highways No. 18	

(b) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"3	So much of National Highways No 6, No. 19, No. 23,	State Government of
	No. 28, No. 31 and No. 32 as are situated within the State	Bihar";
	of Bihar and National Highways No. 28A, No. 30, No. 33	
	and No. 57.	

(c) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"4	So much of National Highways No.3 (excluding from Km	State Government of
	561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai),	Maharashtra
	No.6 [(excluding from Km 149.80 to Km 166.0 (Amravati	
	bypass)], No. 7, No. 9, No. 13, No. 16, No. 17 and No.	
	69 as are situated within the State of Maharashtra and	
	National Highways No. 4B and No. 50	

1	2	3
"4A	So much of National Highways No. 6, No. 14, No. 15, and	State Government of
	No. 59 as are situated within the State of Gujarat and	Gujarat";
	National Highways No. 8A, No 8B and No. 8C.	

(d) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"8	So much of National Highways No. 4 [excluding from	State Government of
	Km 0.0 to Km 103.0 (from Chennai to Ranipet)], No. 7	Tamil Nadu";
Ì	[excluding from 33.0 to Km 94.0 (Hosur to Krishnagiri)]	•
}	and No. 45A, No. 47 and No. 49 as are situated within the	
	State of Tamil Nadu and National Highways No. 7A, No.	
	66, No. 67 and No. 68	_

(e) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"9	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km 0.0 to Km 592.0 (from Bangalore to Karnataka/ Maharashtra border)], No. 4A, No.7 [excluding from Km 0.0 to Km 33.0 (from Bangalore to Karnataka/Tamil Nadu Border)], No. 9, No. 13, No. 17 and No. 63 as are situated within the State of Karanataka and National	State Government of Karnataka";
	Highway No. 48	

(f) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"10	So much of National Highways No. 5 [(excluding from	State Government of
1	Km 233 to 418 from Andhra Pradesh/Orissa border to	Orissa";
	Bhubaneshwar)] [(from Km 0.0 to Km 200.0 from	
	Bhubaneshwar to Balasore)], No. 6, No. 23 and No. 43 as	
	are situated within the State of Orissa and National	
	Highways No.5A and No. 42	

(g) for serial numbers 11,11a,11b and 11c and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

1	2	3
"11	So much of National Highways No. 1 No. 1A, No. 10,	State of Government
}	No. 15, No. 20, No. 21 and No. 22 as are situated within	of Punjab;
	the State of Punjab and National Highway No. 64	
"11A	So much of National Highways No. 1, No.10, No. 22 and	State Government of
	No. 65 as are situated within the State of Haryana	Haryana;
"11B	So much of National Highways No. 1A, No.20, No. 21	State Government of
	and No. 22 as are situated within the State of Himachal Pradesh	Himachal Pradesh;
<b>#110</b>		
"11C	So much of National Highways No.1, No. 10 and No.24	Government of
{	as are situated within the National Capital Territory of	National Capital
L	Delhi.	Territory of Delhi";

(h) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"12	So much of National Highways No.3, No. 11, No. 12,	State Government of
	No. 14, No. 15 and No. 65 as are situated within the State	Rajasthan";
	of Rajasthan and National Highway No. 11A	

(i) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"13	So much of National Highways No.3, No.7, No. 11, No.	State Government of
į	19 and No.24 [excluding from Km 27.62 to 59.0	Uttar Pradesh"
	(Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and excluding	
Ĭ	from Km 148.43 to Km 166.65 (Moradabad bypass)] No.	
]	25, No. 26 and No.28 as are situated within the State of	
l	Uttar Pradesh and National Highways No.29, No. 56 and	
	No. 58	

(j) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"14	So much of National Highways No. 6 [excluding from	State Government of
	Km 0.0 to Km 136.0 (from Calcutta to Kharagpur)] No.	West Bengal"
1	31, No. 31A, No. 31C and No. 32 as are situated within	
	the State of West Bengal and National Highways No.34,	
	No. 35, No. 41 and No. 55	

[F. No. RW/NH-37011/17/97-D-I] K. R. BHATI, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181 dated 4.4.1997 and lastly amended by S.O. 1025(E) dated 1.12.1998

# अधिसूचना

# नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1999

का. आ. 78 (अ).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संलग्न तालिका (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त तालिका कहा गया है) के कालम (1) में यथा वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त तालिका के कालम (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तद्नुरूपी खंड के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

### तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	भाग, कि. मी. में	
1	2	3	
5	तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से विजयवाड़ा	52.8 कि. मी. से 164.75 तक और 182.82 कि. मी. से 354.775 कि. मी. तक	
5	विजयवाड्ग⊢विशाखापत्तनम	0.0 कि. मी. से 3.4 कि. मी. तक और 75.0 कि. मी, से 395.87 कि. मी. तक	
5	विशाखापत्तनम से उड़ीसा/आंध्र प्रदेश सीमा तक (आंध्र प्रदेश राज्य में )	0.0 कि. मी. से 233.0 कि. मी. तक	
5	आंध्र प्रदेश /उड़ीसाा सीमा से भुवनेश्वर	233.0 कि. मी. से 418.0 कि. मी. तक	
5	भुवनेश्वर से बालासौर	0.0 कि. मी. से 27.8 कि. मी. तक और 61.0 कि. मी. से 200.0 कि. मी. तक	
60	बालासौर से उड़ीसा/पश्चिमी बंगाल सीमा (उड़ीसा राज्य में)	0,0 कि. मी. से 57 कि. मी. तक	
2	बिहार∕पश्चिम बंगाल सीमा से रानीगंज	441.44 कि. मी. से 474.0 कि. मी. तक	
2	पानागढ़ से कलकत्ता	516.0 कि. मी. से 670.0 कि. मी. तक	
6	कलकत्ता से खड़गपुर	0.0 कि. मी. से 136 कि. मी. तक	
60	खड़गपुर से उड़ीसा/पश्चिम बंगाल सीमा तक (पश्चिम बंगाल राज्य में)	लम्बाई 68 कि. मी.	
2	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से बरवा अड्डा (बिहार राज्य में)	46.0 कि. मी. से 398.75 कि. मी. तक	
2	हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर	93.0 कि. मी. से 479 कि. मी. तक	
2	कानपुर से वाराणसी	0.0 कि. मी. से 334 कि. मी. तक	
2	वाराणसी से उत्तर प्र <b>देश</b> / बिहार सीमा तक	0,0 कि. मी. से 46.0 कि. मी. तक	
24	गाजियाबाद से हापुड़ और हापुड़ वाइपास	27.60 कि. मी. से 59.0 कि. मी. तक	
24	मुरादाबाद वाइपास 148.43 कि. मी. से 166.65 कि. मी. तक		
27	इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा तक (उत्तर प्रदेश राज्य में)	0.0 कि. मी. से 45.62 कि. मी. तक	

2	दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा तक (हरियाणा राज्य में)	18.80 कि. मी. से 93.0 कि. मी. तक
2	दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा सीमा तक	0.0 कि. मी. से 18.80 कि. मी. तक
8	दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा सीमा तक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में)	0,0 कि. भी. से 11.00 कि. मी. तक
8	किशनगढ़ से अजमेर	366.20 कि. मी. से 396.0 कि. मी. तक
8	अजमेर से राजस्थान/ गुजरात सीमा तक (राजस्थान राज्य में)	0.0 कि. मी. से 388.0 कि. मी. तक
8	राजस्थान/गुजरात सीमा से अहमदाबाद	388.0 कि. मी. से 516.0 कि. मी. तक
8	अहमदा <b>धा</b> द से गुजरात/ महाराष्ट्र सीमा तक (गुजरात राज्य में)	0.0 कि. मी. से 381.6 कि. मी. तक
3	राष्ट्रीथ राजमार्ग 4 के जंक्शन से मुम्बई	561.0 कि. मी. 585.0 कि. मी. तक
4	पुणे से थाणे	0.0 कि. मी. से 143.0 कि. मी. तक
4	कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा से पुणे	592.0 कि. मी. से 834.0 कि. मी. तक
8	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा से मुम्बई (महाराष्ट्र राज्य में)	381.6 कि. मी. से 502.27 कि. मी. तक
4	बंगलौर से कर्नाटक/ महाराष्ट्र सीमा तक	0.0 कि. मी. से 592.0 कि. मी. तक
7	बंगलौर से कर्नाटक/ तमिलनाडु सीमा तक (कर्नाटक राज्य में)	0.0 कि. मी. से 8.0 कि. मी. तक
4	चेन्नई से रानीपेट	0.0 कि. मी. से 103.0 कि. मी. तक
5	चेन्नई से तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश सीमा तक	0.0 कि. मी. से 52.8 कि. मी. तक
45	चेन्नई से डिंडीगल	0.0 कि. मी. से 27.8 कि. मी. तक और 122.0 कि. मी. से 417 कि. मी. तक
46	कृष्णागिरी से रानीपेट (तमिलनाडु राज्य में)	0.0 कि. मी. से 115.0 कि. मी. तक

[फाइल सं. आरं. डब्स्यू/एन एच-37011/17/97-डी-1]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 1999

S.O. 78(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto (hereinafter referred to as the said Table) of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said table of the National Highway as described in column (1) of the said table, to the National Highways Authority of India.

**TABLE** 

National	Section	Stretch in kilometer
Highway		
No.		
(1)	(2)	(3)
5	Tamil Nadu/Andhra Pradesh	From Km 52.8 to Km 164.75 and
_	border to Vijayawada	From Km 182.82 to 354.775
5	Vijayawada-Visakhpatnam	From Km 0.0 to Km 3.4 and
į.		From Km 75.0 to 395.87
5	Vishakhapatnam to Orissa/	From Km 0.0 to Km 233.0
	Andhra Pradesh Border	
	(in the State of Andhra	
]	Pradesh)	
5	Andhra Pradesh/Orissa border	From Km 233.0 to Km 418.0
	to Bhubaneshwar	
5	Bhubaneshwar to Balasore	From Km 0.0 to Km 27.8 and
		From Km 61.0 to 200.0
60	Balasore to Orissa/West Bengal	From Km 0.0 to Km 57
ľ	border	
	(in the State of Orissa)	
2	Bihar/West Bengal border to	From Km 441.44 to Km 474.0
Ì	Raniganj	
2	Panagarh to Calcutta	From Km 516.0 to 670.0
6	Calcutta to Kharagpur	From Km 0.0 to Km 136
60	Kharagpur to Orissa/West	68 Km length
]	Bengal border	_
	(In the State of West Bengal)	

National Highway No.	<u>Section</u>	Stretch in kilometer
2	Uttar Pradesh / Bihar border to Barwa Adda (in the State of Bihar)	From Km 46.0 to Km 398.75
2	Haryana/Uttar Pradesh border to Kanpur	From Km 93.0 to Km 479.0
2	Kanpur to Varanasi	From Km 0.0 to Km 334
2	Varanasi to Uttar Pradesh/ Bihar border	From Km 0.0 to Km 46.0
24	Ghaziabad to Hapur including Hapur byepass	From Km 27.60 to Km 59.0
24	Moradabad bypass	From Km 148.43 to Km 166.65
27	Allahabad to Uttar Pradesh/ Madhya Pradesh Border (in the State of Uttar Pradesh)	From Km 0.0 to Km 45.62
2	Delhi/Haryana border to Haryana/Uttar Pradesh border  (in the State of Haryana)	From Km 18.80 to Km 93.0
	(in the State of Harry and)	
2	Delhi to Delhi/Haryana Border	From Km 0.0 to Km 18.80
8	Delhi to Delhi/Haryana boder	From Km 0.0 to Km 11.00
	(In the National Capital Territory of Delhi	
8	Kishangarh to Ajmer	From Km 366.20 to Km 396.0
8	Ajmer to Rajasthan/ Gujarat Border	From Km 0.0 to Km 388.0
	(In the State of Rajasthan)	
8	Rajasthan/Gujarat Border to Ahmedabad	From Km 388.0 to Km 516.0
8	Ahmedabad to Gujarat/ Maharashtra border	From Km 0.0 to Km 381.6
	(in the State of Gujarat)	
3	Junction with NH 4 to Mumbai	From Km 561.0 to 585.0
4	Pune to Thane	From Km 0.0 to 143.0
4	Karnataka/ Maharashtra border to Pune	From Km 592.0 to Km 834.0
8	Gujarat/Maharashtra border to Mumbai (in the State of Maharashtra)	From Km 381.6 to Km 502.27

Nationa! Highway No.	Section	Stretch in kilometer
4	Bangalore to Karnataka/ Maharashtra border	From Km 0.0 to Km 592.0
7	Bangalore to Karnataka/ Tamil Nadu border (In the State of Karnataka)	From Km 0.0 to Km 8.0
4	Chennai to Ranipet	From Km 0.0 to Km103.0
5	Chennai to Tamil Nadu/Andhra Pradesh border	From Km 0.0 to Km 52.8
45	Chennai to Dindigul	From Km 0.0 to Km 27.8 and From Km 122.0 to Km 417.0
46	Krishnagiri to Ranipet	From Km 0.0 to Km 115.0
	(in the State of Tamil Nadu	

[File No. RW/NH-37011/17/97-D-I] K. R. BHATI, Jt. Secy.